फोन – 0151–2250006

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

33, फेज–द्वितीय, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

क्रमांक :– राप्रनिम/क्षे.का./बीका/2020–21/2149 दिनांक : 20/03/2021

खुली बोली हेतु नीलामी सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के पत्रांक 2148 दिनांक 20/03/2021 द्वारा पूर्ण रूप अप्रचलित एवं अनुपयोगी पुराना/नकारा घोषित सामग्री को खुली बोली द्वारा नीलाम किया जाना है। इस अप्रचलित एवं अनुपयोगी पुराना नकारा घोषित सामग्री का पुस्तक मूल्य 177573/-है । इस हेतु खुली बोली नीलामी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में दिनांक 31/03/2021 को दोपहर 12:00 से 2:00 बजे तक रखी गई है। इच्छुक एवं इस कार्य में नियोजित फर्म/संस्था/सम्बन्धित व्यक्ति (कब्बाडी) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन नीलामी की तय दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकते है।

शर्ते :–

1. नीलामी स्थल पर प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली लगाने से पहले धरोहर राशि रूपये 3550/– (Rs.Three Thousand Five Hundred and Fifty only) जमा कराकर उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी।
2. बोलीदाता को आई. कार्ड की छाया प्रतियां बोली से पूर्व जमा करानी होगी।
3. असफल बोली लगाने वालों को उक्त धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के बाद या बोली लगाने वाला नीलामी समाप्त होने के बाद जब इसे वापस लेना चाहे, लौटा दी जावेगी। सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में धरोहर राशि उसके द्वारा देय अप्रचलित एवं अनुपयोगी पुराना नकारा घोषित सामग्री के विक्रय मूल्य में समायोजित कर ली जावेगी।
4. एक बार बोली समाप्त होने पर अप्रचलित एवं अनुपयोगी पुराना नकारा सामग्री के बारे में कोई शिकायत विचारार्थ स्वीकार नही की जावेगी और ना ही बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकेगा।
5. नीलाम किये गये अप्रचलित एवं अनुपयोगी पुराना नकारा सामग्री की सम्पूर्ण राशि उसी दिन जमा करानी होगी।
6. नीलाम किये गये अप्रचलित एवं अनुपयोगी पुराना नकारा सामग्री को उसी दिन उठाना होगा।
   । सामान नही उठाने पर 500/–रूपये प्रति दिन की दर से जुर्माना वसूला जावेगा।
7. अप्रचलित एवं अनुपयोगी पुराना नकारा सामग्री जहाँ है, जैसा है उसी हालात में नीलाम किया जावेगा। अप्रचलित एवं अनुपयोगी पुराना नकारा सामग्री की नीलामी के पश्चात् उसमें किसी नुकसान या कमी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।
8. राज्य मण्डल का कोई भी वर्तमान एवं पूर्व कार्मिक बोली में भाग नही ले सकेगा।
9. बिना कारण बोली स्वीकार करने या अस्वीकार करने, बोली को स्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
10. उक्त शर्तो के सम्बन्ध में किसी भी सन्देह का समाधान/खुलासे हेतु नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
11. इच्छुक बोलीदाता नीलामी तिथि से पूर्व यदि सामान का अवलोकन करना चाहे तो कार्यालय समय में भण्डारपाल से सम्पर्क कर अवलोकन कर सकते हैं।
12. इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार बीकानेर होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर

नीलामी नोटिस निम्नलिखित स्थानों पर चस्पा कर सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय सम्भागीय आयुक्त,, बीकानेर
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्टर महोदय, जिला बीकानेर
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड, रा. प्र. नि. म. बीकानेर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर